



WESTERN RAILWAY

Headquarter Office  
Churchgate,  
Mumbai- 400 020.

P.S.No. 49/2015

No. E C 58/ 18 VOL. V

Date: 14/05/2015

All PHODs /HOD,  
All DRMs / CWMs & Units Incharge,  
C/- Genl. Secy., WRMS-BCT / WREU-GTR.  
C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai  
C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Retention of Railway Quarter- Consolidated clarification  
regarding.

=====

A copy of Railway Board's letter No. E(G) 2011 QR1-15 dated  
23-28/04/2015 along with Annexure "A " (RBE 38/2015) is sent herewith  
for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(Sunil Bishnoi)  
SPO (HRD)

For General Manager (E)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2011/क्यूआर1-15

नई दिल्ली, दिनांक 28/04/015

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां,  
(मानक सूची के अनुसार)

**विषय: रेलवे आवास को अपने पास रखने से संबंधित समेकित स्पष्टीकरण।**

विभिन्न परिस्थितियों जैसे स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति, रेलवे की सार्वजनिक इकाइयों/गैर-रेलवे सार्वजनिक इकाइयों पर प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी के रूप में/अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड और परियोजनाओं आदि में तैनाती पर आवास का आबंटन/उसे अपने पास रखने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं और इनमें तत्पश्चात संशोधन किया गया है। स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि से संबंधित मामलों में क्वार्टर को अपने पास रखने के लिए प्रदान की गई सामान्य छूट के अलावा, बोर्ड आवास का आबंटन/उसे अपने पास रखने के संबंध में छूट प्रदान करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर विभिन्न-विभिन्न कोटियों जैसे कि अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, नए जोनों/मंडलों, यूएसबीआरएल परियोजना, प्रशिक्षण संस्थानों आदि के मामले में विभिन्न समयावधियों के लिए छूट प्रदान करता है।

हाल ही में इस कार्यालय में, विभिन्न स्रोतों से इस संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें तालिका के रूप में अनुलग्नक "क" में दिया गया है। इन मामलों पर समेकित रूप से पूरे बोर्ड द्वारा जांच की गई है और ऐसे प्रत्येक प्रश्नों/प्रस्तावों आदि के संबंध में लिए गए निर्णयों को उक्त तालिका में प्रत्येक प्रश्न के सामने दर्शाया गया है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

एस.के. पांडे

(एस. के. पांडे)

उप निदेशक, स्थापना (सामान्य)

## तालिका

क्रम सं.	प्रश्न	मौजूदा स्थिति	पूरे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात यथा संशोधित स्थिति
1.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय आठ माह की अवधि (दो माह साधारण किराए पर और शेष बचे छः माह के लिए साधारण किराए/विशेष लाइसेंस शुल्क से दोगुनी दर पर) नए जोनों/मंडलों के मामले में प्रदान की गई छूट के अतिरिक्त लागू होगी?	पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे को छोड़कर अन्य के लिए 31-08-2009 तक आवास को अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस समय पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के मामले में 31-12-2015 तक आवास को अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।	नए जोनों/मंडलों में तैनात किए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों के मामले में समय-समय पर प्रदान की गई विशेष छूट के अतिरिक्त सामान्य स्थानांतरणों में प्रदान की जाने वाली दो माह की और छूट भी प्रदान की जाएगी।
2.	क्या स्थानांतरण के मामले में अधिकतम अनुमेय अवधि में विद्यालयी सत्र शामिल है?	स्थायी स्थानांतरण के मामले में आवास को अपने पास रखने के लिए 08 माह की अधिकतम अनुमेय अवधि में विद्यालयी सत्र शामिल है। बहरहाल, जहां कहीं विद्यालयी सत्र की अवधि 08 माह की अवधि से ज्यादा होती है तो ऐसे मामलों में चालू वर्ष के सत्र की समाप्ति + 15 दिन तक आवास अपने पास रखने की अनुमति होगी।	स्थायी स्थानांतरण के मामले में आवास को अपने पास रखने के लिए 08 माह की अधिकतम अनुमेय अवधि में विद्यालयी सत्र शामिल है। बहरहाल, जहां कहीं विद्यालयी सत्र की अवधि 08 माह की अवधि से ज्यादा होती है तो ऐसे मामलों में चालू वर्ष के सत्र की समाप्ति + 15 दिन तक आवास अपने पास रखने की अनुमति होगी।
3.	क्या विद्यालयी सत्र का आशय कोर्स की समस्त अवधि/सत्र अथवा आगामी सत्र है?	स्थायी स्थानांतरण के मामले में आवास अपने पास रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चालू शैक्षिक सत्र की अवधि तक की ही अनुमति है।	इसका आशय कोर्स की पूरी अवधि नहीं है अपितु केवल चालू सत्र है, चाहे कोर्स की अवधि जो भी हो।
4.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय अवधि प्रशिक्षण संस्थानों के मामले में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी?	प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी के रूप में तैनाती के मामलों में पूरे कार्यकाल के लिए आवास अपने पास रखने की अनुमति है।	सामान्य स्थानांतरण के मामले में प्रदान की गई 02 माह की छूट, विशेष छूट के अतिरिक्त प्रदान की जाए।
5.	क्या सेवानिवृत्ति/ स्थानांतरण की स्थिति में दो माह की अनुमेय अवधि के बाद चिह्नित आवास को अपने पास रखा जा सकता है?	नॉन पूल/चिह्नित आवास साधारण किराए पर अधिकतम 02 माह तक के लिए अपने पास रखा जा सकता है।	चूंकि चिह्नित आवास उच्चतर तैनातियों के लिए होते हैं इसलिए किसी भी स्थिति में दो माह से अधिक इन्हें अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6.	क्या चिह्नित आवास सेवानिवृत्त होने पर दो माह की अनुमेय अवधि के पश्चात गम्भीर बीमारी के खण्ड के तहत अपने पास रखा जा सकता है?	चिह्नित आवास स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति किसी भी मामले में अधिकतम दो माह की अवधि तक अपने पास रखा जा सकता है।	बकाया 06 माह के लिए पसंद के किसी स्थान पर वैकल्पिक आवास अपने पास रखने की अनुमति है। गम्भीर बीमारी से संबंधित मामलों पर इन वैकल्पिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

7.	क्या स्कूली शिक्षा आदि के अंतर्गत प्रदान की गई छूट विशेष व्यवस्था आदि के अतिरिक्त लागू होती है।	शैक्षणिक/चिकित्सकीय आधार के अंतर्गत अधिकतम 06 माह की अवधि के लिए आवास अपने पास रखने की अनुमति है। बहरहाल, शैक्षिक सत्र के मध्य में स्थानांतरण होने के मामले में अधिकतम शैक्षिक सत्र की समाप्ति + 15 दिन जो भी उक्त दोनों में से अधिक हो, तक आवास अपने पास रखने की अनुमति है।	विद्यालयी आधार जिसमें सत्र की अवधि शामिल है, और जो 08 माह के लिए प्रदान की गई अधिकतम छूट से ज्यादा हो सकती है, को छोड़कर इसमें सामान्य अनुमेय अवधि शामिल है।
8.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय आठ माह की अवधि (दो माह साधारण किराए पर और बाकी बचे छः माह के लिए साधारण किराए/विशेष लाइसेंस शुल्क से दोगुनी दर पर) अध्यक्ष/रिलवे भर्ती बोर्ड के मामले में प्रदान की गई छूट के अतिरिक्त लागू होगी?	पिछली तैनाती के स्थान पर आवास को अपने पास रखने के लिए साधारण किराए के भुगतान पर 3 वर्ष से अधिक अवधि की अनुमति नहीं है।	सामान्य स्थानांतरण के मामले में प्रदान की गई 02 माह की छूट, विशेष छूट के अतिरिक्त प्रदान की जाए।
9.	क्या सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत अनुमेय आठ माह की अवधि (दो माह साधारण किराए पर और शेष छः माह के लिए साधारण किराए/विशेष लाइसेंस शुल्क से दोगुनी दर पर) जे-यूएसबीआरएल (नई लाइन तथा ओपन लाइन दोनों के लिए) निर्माण परियोजना के मामले में प्रदान की गई छूट के अतिरिक्त लागू होगी?	आवास को 31-03-2018 तक अथवा परियोजना के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, अपने पास रखने की अनुमति है।	सामान्य स्थानांतरण के मामले में प्रदान की गई 02 माह की छूट, विशेष छूट के अतिरिक्त प्रदान की जाए।
10.	क्या आवास खाली कर देने के बाद आवास को अपने पास रखने के लिए पिछली तैनाती के स्थान पर क्वार्टर को पुनः आबंटित करने अथवा बाद में उसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति है?	आवास को अपने पास रखने की सुविधा का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई आबंटन नहीं किया जाए।	एक बार आवास को खाली कर दिए जाने के बाद पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास का पुनःआबंटन नहीं किया जाएगा।

W.B. के पत्र